"हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–556 /सी0ई0ओ0–2–10/2–2024 दिनांकः 02 अप्रैल, 2024

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा।

विषयः हरियाणा में लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उप निर्वाचन–2024– मतदान तथा मतगणना दिवस पर मद्य निषेध दिवस (Dry Day)घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या–131(27)/Dry Day/LSElec-2024/2AE-2208 दिनांक 23.03.2024 के कम में आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मतदान तथा मतगणना दिवस पर मद्य निषेध दिवस घोषित किये जाने के संबंध में जारी पत्र संख्या–303 ई–2/तेरह–2024–230964 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 की प्रति सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(अमित सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः 556 (1)/सीईओ–2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर, शामली, अलीगढ, बागपत, गौतमबुद्धनगर तथा मथुरा को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

निर्वाचन/महत्वपूर्ण

संख्या:303ई-2/तेरह-2024-230964

प्रेषक,

दिव्य प्रकाश गिरि
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ, बागपत, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, सहारनपुर तथा शामली।
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 अप्रैल, 2024

विषय:-हरियाणा राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उप निर्वाचन-2024-मतदान तथा मतगणना दिवस पर मद्य निषेध दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-439/सी.ई.ओ.-2-10/2-2024, दिनांक 26-03-2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पत्र सं0-131(27)/Dry Day/LS/Elec-2024/2AE-2208, दिनांक 23.03.2024 की प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उप निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिनांक 25 मई, 2024 तथा मतगणना दिनांक 04 जून, 2024 को होगी। हरियाणा राज्य के पलवल, पानीपत, सोनीपत फरीदाबाद यमुनानगर तथा करनाल जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के अलीगढ, बागपत, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, सहारनपुर तथा शामली जिले से लगती है। हरियाणा राज्य के उक्त जिलों में मतदान दिनांक 25.05.2024 को होना है। तत्क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र 16.03.2024 द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उप निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिवस दिनांक 25 मई, 2024 को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य में उनके प्रदेश की सीमाओं से लगते हुए सीमावर्ती 03 किलोमीटर क्षेत्र में तथा मतगणना दिवस दिनांक 04 जून, 2024 को सूखा दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

3. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य के उपरिवर्णित जिलों में मतदान दिवस दिनांक 25-05-2024 को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य में हरियाणा राज्य की सीमाओं से लगते हुए सीमावर्ती 03 किलोमीटर क्षेत्र में तथा मतगणना दिवस 04-06-2024 को हरियाणा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन मद्य निषेध लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं अवैध मदिरा की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by दिव्य प्रकाश गिरि
Date: 02-04-2024 12:50:33
Reason: Approved
(दिव्य प्रकाश गिरि)
विशेष सचिव

संख्या-303(1)ई-2/तेरह-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।

(4) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली।

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-439/सी.ई.ओ.-2-10/2-2024, दिनांक 26.03.2024 के सम्बन्ध में।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को उनके पत्र संख्या-131(27)/Dr Day/LS/Elec-2024/2AE-2208, दिनांक 23.03.2024 के सम्बन्ध में।

(7) मण्डलायुक्त, अलीगढ़, आगरा, मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(8) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।।

(9) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित मण्डलायुक्त, पुलिस उपमहानिरीक्षक, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

02.04.2024

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner

"हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–567 /सी0ई0ओ0–2–9/2–2024 दिनांकः 02 अप्रैल, 2024

सेवा मे,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा।

विषयः हरियाणा में लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उप निर्वाचन–2024–मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या–130(30)/Paid Holiday)/LSElec-2024/2AE-2262 दिनांक 26.03.2024 के कम में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में जारी विज्ञप्ति संख्या–1/532711/2024 दिनाक 02 अप्रैल, 2024 की प्रति सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
02/04/2024
(अमित सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः567(1)/सीईओ–2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बागपत, गौतमबुद्धनगर तथा मथुरा को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/04/2024
(अमित सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

2711/2024

02 APR 2024

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या– /तीन–2024
लखनऊ : दिनांक : 02अप्रैल, 2024

विज्ञप्ति/विविध

विषय :– दिनाँक 25–05–2024 को हरियाणा राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 तथा विधान सभा उप निर्वाचन–2024 में उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–135 ख के अर्न्तगत सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–481/सी0ई0ओ0–2–09/2–2024 दिनाँक 28–03–2024 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त हरियाणा राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 तथा विधान सभा उप निर्वाचन–2024 हेतु दिनाँक 25–05–2024 को होने वाले मतदान के लिए हरियाणा राज्य के उन मतदाताओं को जिनमें उत्तर प्रदेश के दैनिक श्रमिक भी सम्मिलित हैं तथा जो आजीविका के संबंध में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–135 ख के अर्न्तगत सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– ऐसे मतदाताओं के नियंत्रक प्राधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Digitally Signed by
जितेन्द्र कुमार
Date: 02-04-2024 14:20:42
Reason: Approved

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/तीन–2024 तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) उ0प्र0।
5– स्थानिक आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस विज्ञप्ति को यथा समय आवश्यक प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
7– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बागपत, गौतमबुद्धनगर तथा मथुरा।

आज्ञा से

(उमेश यादव)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

"हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–548 /सी0ई0ओ0–2–9/2–2024 दिनांकः 02 अप्रैल, 2024

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा।

विषयः हरियाणा में लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का उप निर्वाचन–2024–मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या–130(30)/Paid Holiday)/LSElec-2024/2AE-2262 दिनांक 26.03.2024 के कम में श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में जारी पत्र संख्या–683/36–03–2024–02(सा0)/2014टी0सी0 दिनांक 28 मार्च, 2024 की प्रति सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
02/04/24
(अमित सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः 548 (1)/सीईओ–2 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बागपत, गौतमबुद्धनगर तथा मथुरा को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/04/24
(अमित सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः-683/36-03-2024-02(सा०)/2014 टी०सी०

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बागपत,
गौतमबुद्धनगर तथा मथुरा।

श्रम अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29, मार्च, 2024

विषयः- हरियाणा राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपको सम्बोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के पत्र संख्याः-481/सी०ई०ओ०-2-09/2-2024 दिनांक 28 मार्च, 2024 की छायाप्रति मयसंलग्नक सहित संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा द्वारा किये गये अनुरोधानुक्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा राज्य में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान दिवस दिनांक 25.05.2024 को हरियाणा राज्य के मतदाता जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं। ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख के अन्तर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

Vikalp-2024/u.o. cr g.o.

Scanned with OKEN Scanner

संख्या:-683(1)/36-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के पत्र संख्या:-481/सी०ई०ओ०-2-09/2-2024 दिनांक 28 मार्च, 2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश उपाध्याय)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक–एफ.14(3)(1)चुनाव / श्रम / विधि / 2015 / पार्ट–2 / जयपुर, दिनांक:

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा हरियाणा राज्य के लोकसभा आम चुनाव–2024 कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि 25.05.2024 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा / विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:–

"135 ख– मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी–

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार हरियाणा राज्य में लोकसभा आम चुनाव–2024 के लिए हरियाणा राज्य से लगते हुए राजस्थान राज्य के क्रमशः हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर जिलों के कार्मिक जो हरियाणा राज्य के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें मतदान का प्रयोग करने हेतु मतदान दिवस दिनांक 25.05.2024 को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाता है, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

(करण सिंह)
श्रम आयुक्त
राज., जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh
Designation: Commissioner
Date: 2024.03.21 21:26:49 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक–एफ.14(3)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट–2/ जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके अ.शा.टीप क्रमांक प.8(1)(23)निर्वा./2024/2772 दिनांक 21.03.2024 के क्रम में।

2–निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3–विशिष्ट शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4–उप शासन सचिव, श्रम, नियोजन, कौशल एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5–निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।

6–जिला कलेक्टर.....(समस्त), राजस्थान।

7–संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....(समस्त) एवं श्रम कल्याण अधिकारी....(समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।

8–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में समुचित प्रचार–प्रसार कराने हेतु प्रेषित है।

9–गार्ड पत्रावली।

श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Karam Singh
Designation: Commissioner
Date: 2024.03.21 2?:26:49 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022 जयपुर, दिनांकः 21 मार्च, 2024

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव, 2024 के लिए हरियाणा राज्य में दिनांक 25.05.2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः हरियाणा राज्य की सीमा से लगते हुए राजस्थान के 3 किलोमीटर क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात दिनांक 23.05.2024 को सांय 6:00 बजे से दिनांक 25.05.2024 को सांय 6:00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है। पुनर्मतदान की स्थिति मे पुनर्मतदान के दिन भी 'सूखा दिवस' घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.8(1)(22)निर्वा./2024/2719 दिनांक 20.03.2024 के संदर्भ में।
2. अति. मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर, बीकानेर, सीकर एवं भरतपुर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रह तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
7. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ, चुरू, झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर।
9. जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ, चुरू, झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF THE COMMISSIONER (LABOUR)
GOVT. OF NCT OF DELHI
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

F.18/AddlLC Holiday-Election 2019 8378-8383 Dated: 28/03/2024

NOTICE

Election Commission of India has announced General Election to Lok Sabha 2024.

Subsequently, Election Officer, Chief Electoral Office, GNCTD vide letter no. CEO/COE/102(55)/2024/245 dated 26.03.2024 addressed to Commissioner (Labour), GNCTD, has mentioned that all establishments, Factories, other business establishments in Delhi should ensure that the electors residing in constituencies of **Rajasthan** going for **Phase 1 (Poll day 19/04/2024)** i.e Ganga Nagar, Bikaner, Churu, Jhunjhunu, Sikar, Jaipur Rural, Jaipur, Alwar, Bharatpur, Karauli-Dholpur, Dausa, Nagaur and electors residing in **Haryana (Poll day 25/05/2024)** and working in different establishments of NCT of Delhi should be granted paid holiday on the day of poll i.e. on 19.04.2024 and 25.05.2024 respectively, to enable them to cast their vote.

Accordingly, all such employers of Industrial Establishments/Factories /Shops and Commercial Establishments in NCT of Delhi shall grant paid holiday to their employees who are electors of the concerned Parliament Constituencies of Rajasthan and Haryana to enable them to cast their vote in their respective constituency on the day of polling in case scheduled day is a working day for them electors.

This issue with the approval of Commissioner (Labour).

(BABITA)
Deputy Labour Commissioner (Admn.)

Copy to:-

1. All Employers' Associations/Factory Owners Associations.
2. Election Commission of India.
3. Staff officer to Chief Secretary, GNCTD.
4. Assistant Chief Electoral Officer o/o Chief Electoral Officer, Delhi with reference to letter dated 26.03.2024..
5. All District Joint Labour Commissioners/ Deputy Labour Commissioners and Director - Industrial Safety and Health are directed to inform the Employer's Associations/Factory Owners Associations and Trade Unions.
6. PA to Commissioner (Labour).

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF THE COMMISSIONER (LABOUR)
GOVT. OF NCT OF DELHI
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

F.184/Addl.LC/Holiday-Election/2019/ 8378-8383 Dated: 28/03/2024

NOTICE

Election Commission of India has announced General Election to Lok Sabha 2024.

Subsequently, Election Officer, Chief Electoral Office, GNCTD vide letter no. CEO/COE/102155/2024/245 dated 26.03.2024 addressed to Commissioner (Labour), GNCTD, has mentioned that all establishments, Factories, other business establishments in Delhi should ensure that the electors residing in constituencies of **Rajasthan** going for **Phase 1 (Poll day 19/04/2024)** i.e Ganga Nagar, Bikaner, Churu, Jhunjhunu, Sikar, Jaipur Rural, Jaipur, Alwar, Bharatpur, Karauli-Dholpur, Dausa, Nagaur and electors residing in **Haryana (Poll day 25/05/2024)** and working in different establishments of NCT of Delhi should be granted paid holiday on the day of poll i.e. on 19.04.2024 and 25.05.2024 respectively, to enable them to cast their vote.

Accordingly, all such employers of Industrial Establishments/Factories /Shops and Commercial Establishments in NCT of Delhi shall grant paid holiday to their employees who are electors of the concerned Parliament Constituencies of Rajasthan and Haryana to enable them to cast their vote in their respective constituency on the day of polling in case scheduled day is a working day for them electors.

This issue with the approval of Commissioner (Labour).

(BABITA)
Deputy Labour Commissioner (Admn.)

Copy to:-

1. All Employers' Associations/Factory Owners Associations.
2. Election Commission of India.
3. Staff officer to Chief Secretary, GNCTD.
4. Assistant Chief Electoral Officer o/o Chief Electoral Officer, Delhi with reference to letter dated 26.03.2024.,
5. All District Joint Labour Commissioners Deputy Labour Commissioners and Director - Industrial Safety and Health are directed to inform the Employer's Associations/Factory Owners Associations and Trade Unions.
6. PA to Commissioner (Labour).

Scanned with OKEN Scanner

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTT. AND LUXURY TAX
L & N BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.10(210)/EX./IMFL/2011-12/460-479 Dated:02/04/2024

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that "Dry Days" shall be observed (before 48 hours of end of poll) from 06.00 PM of 23rd May, 2024 to 06:00 PM of 25th of May, 2024 and again on 4th June, 2024 (Full Day) on account of Counting day of General Election to Lok Sabha, 2024 by L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-10, L-12, L-12F, L-14, L-15, L-15F, L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-27, L-28, L-28F, L-29, L-29F, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, P-10, P-10A and P-13 Licensees whose vends/premises are situated in the National Capital Territory of Delhi.

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days, as already notified vide order No.F.10(210)/EX./IMFL/2011-12/Pt.File/434-450 dated 02.04.2024.

(KRISHNA MOHAN UPPU)
COMMISSIONER (EXCISE)

No. F.10(210)/EX./IMFL/2011-12/ Dated:

Copy forwarded to:-

1. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
2. The Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
3. The Commissioner of Police, NCT of Delhi.
4. The Divisional Commissioner-Cum- Pr. Secretary (Revenue) NCT of Delhi.
5. The Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Chief Election Officer, Delhi, Old St. Stephens's College Building, Kashmere Gate, Delhi.
7. The Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi
8. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi.
9. The Director of Information and Publicity for wide publicity.
10. The Addl. Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi.
11. The Dy. Secretary, GAD Govt. of NCT of Delhi for notification in the Delhi Gazette.
12. The Dy. Commissioner (Taxes/Excise), Deptt. Of Excise, Entt. & Luxury Tax.
13. The Joint Director (IT) (ESCIMS) for uploading the same on the online portal through IT.
14. The Managing Director, DSIIDC, DTTDC, DSCSC and General Manager, DCCWS.
15. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
16. All Excise Inspectors/Sub Inspectors for ensuring strict compliance.
17. In-charge Computer Cell for uploading the same on the website of the Excise Department.
18. All Licensees.
19. Guard File.

Scanned with OKEN Scanner